भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1038

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत के तहत तेलंगाना के लिए स्वीकृत धनराशि

†1038. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि तेलंगाना राज्य सरकार ने जनवरी, 2024 तक आयुष्मान भारत के अंतर्गत निर्धारित सभी ब्रांडिंग मानदण्डों को पूर्ण कर लिया है और वर्तमान में 5159 आयुष्मान आरोग्य मन्दिरों (एएएम) का प्रभावी संचालन कर रही है, जो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रहे हैं और क्या राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही की 347.54 करोड़ रुपए की केंद्रीय अंशदान राशि के सापेक्ष 323.73 करोड़ रुपए की मांग की है और वित्त वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही की अनुदान राशि 138 करोड़ रुपए की भी माँग की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई है तथा तेलंगाना राज्य को स्वीकृत धनराशि कितनी है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और उपलब्ध संसाधनों के अध्यधीन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों से उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधनों की उपलब्धता के साथ-साथ मौजूदा मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं। एनएचएम के अंतर्गत निधियां जारी करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

इसके अलावा, तेलंगाना राज्य को वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत केंद्र से जारी निधियाँ इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	केंद्र से जारी निधियाँ
2023-24	564.93
2024-25	1,110.43

टिप्पण:

1. उपरोक्त जारी निधियाँ केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।

****